

UMESH KR. GUPTA
ADVOCATE

CH. No. 542 B, SAKET COURT COMPLEX
NEW DELHI-110017,
MOB. NO. 9717398687

December 30, 2023

To,
The Secretary,
Uttar Pradesh Real State Regulatory Authority
Naveen Bhawan, Rajya Niyojan Sansthan,
Kala Kankar House, Lucknow U.P. – 226007

Subject:-Verification Certificate of Khasra No. 1520 Min Area 0.2080 Hect. Khasra No. 1521 Area 0.5190 Hect. Khasra No. 1522 Area 0.4170 Hect. Khasra No. 1523 Min Area 0.1010 Hect. Khasra No. 1523 Min Area 0.0630 Hect. Khasra No. 1537 Area 0.1390 Hect. Khasra No. 1538 Area 0.2910 Hect. All situated at Revenue Estate of Village Shahpur Bamheta, Pargana Dasna, Tehasil and District Ghaziabad U.P.

Sir,

As per instructions of my client M/s SMV Agencies Pvt. Ltd. having its registered office at S-25, Main Market Green Park New Delhi. I have perused following documents which have been produced by my client to me:-

1. Consortium Agreement dated 27-03-2010 registered on 28-03-2010 in the office of Sub Registrar-I, Ghaziabad vide Bahi no. 4, Jild No. 815, page no. 1 to 42 as document no. 48 dated 28-03-2010.
2. Sale deed dated 16.05.2005 duly registered in the office of Sub Registrar – I Ghaziabad as on bahi no. 1 jild no. 6030 page no. 147-170 vide document no. 2974 on dated 16-05-2005 in favour of M/s SMV Agencies Pvt. Ltd.
3. Sale deed dated 28.06.2005 duly registered in the office of Sub Registrar – I Ghaziabad as on bahi no. 1 jild no. 6091 page no. 247-318 vide document no. 4031 on dated 28.06.2005 in favour of M/s Jaipuria Advance Technology Pvt. Ltd.
4. Sale deed dated 27.06.2005 duly registered in the office of Sub Registrar – I Ghaziabad as on bahi no. 1 jild no. 6089 page no. 185-244 vide document no. 4002 on dated 27.06.2005 in favour of M/s Jaipuria Advance Technology Pvt. Ltd.



5. Sale deed dated 12.08.2005 duly registered in the office of Sub Registrar – I Ghaziabad as on bahi no. 1 jild no. 6160 page no. 148-224 vide document no. 5200 on dated 12.08.2005 in favour of M/s Risk Free Traders Pvt. Ltd.
6. Sale deed dated 07-07-2011 duly registered in the office of Sub Registrar – I Ghaziabad as on bahi no. 1 jild no. 9000 page no. 373-428 vide document no. 4209 on dated 07-07-2011 in favour of M/s JaipuriaDurobuild Pvt. Ltd.
7. Sale deed dated 08.06.2005 duly registered in the office of Sub Registrar – I Ghaziabad as on bahi no. 1 jild no. 6065page no. 373-408 vide document no. 3575 on dated 08.06.2005 in favour of M/s Vibhu Drinks Pvt. Ltd.
8. Sale deed dated 07-6-2013 duly registered in the office of Sub Registrar – I Ghaziabad as on bahi no. 1 jild no. 11133 page no. 79-374 vide document no. 5290 on dated 07.06.2013 in favour of M/s Surya Vaibhav Developers Pvt. Ltd.
9. Transfer deed dated 12.05.2014 duly registered in the office of Sub Registrar – I Ghaziabad as on bahi no. 1 jild no. 12005 page no. 269-354 vide document no. 3541 on dated 12.05.2014 in favour of M/s Exponent ConbuildPvt Ltd Pvt. Ltd.
10. Integrated Township License No. I-4/GZB/04 in the name of SMV Agencies Pvt. Ltd.
11. Map Sanction Letter bearing file no. GDA/BP/22-23/1224 Dated 27-08-2023.
12. Computerized copy of Non Encumbrance certificate No. 22023136000740 dated 27-12-2023, 22023136000741 dated 27-12-2023, 22023136000742 dated 27-12-2023, 22023136000743 dated 27-12-2023, 22023136000744 dated 27-12-2023, and 22023136000745 dated 27-12-2023.

On the basis of above mentioned documents and after perusal of the same, I have reached on the following conclusion:-

- A. That the area of Khasra No. 1520 Min Area 0.2080 Hect. Khasra No. 1521 Area 0.5190 Hect. Khasra No. 1522 Area 0.4170 Hect. Khasra No. 1523 Min Area 0.1010 Hect. Khasra No. 1523 Min Area 0.0630 Hect. Khasra No. 1537 Area 0.1390 Hect. Khasra No. 1538 Area 0.2910 Hect. all situated at Revenue Estate of Village Shahpur Bamheta, Pargana Dasna Tehasil and District Ghaziabad U.P. are the part of integrated township in the name of Jaipuria Sunrise Greens NH-24 Ghaziabad.



- B. That on the basis of non-encumbrance certificates mentioned above in clause 12, issued by the office of Sub-Registrar-I Sadar Ghaziabad all dated 27-12-2023 found "no charge" on above mentioned khasra nos. between 01-01-2012 to 25-12-2023.
- C. That as per Map sanctioned letter dated 27-08-2023 the GDA has sanctioned the map of site in favour of my client.

Above report is submitted

Without prejudice

Enclosure:-

1. Non encumbrance certificates all dated 27-12-2023 of above mentioned Khasra Nos.
2. Consortium Agreement dated 27.03.2010.
3. Map Sanction letter dated 27-08-2023



A handwritten signature in blue ink that reads "Umesh Kr. Gupta".

**(Umesh Kr. Gupta)
Advocate**

कार्यालय उपनिबंधक सदर प्रथम गाजियाबाद जनपद गाजियाबाद

आवेदन संख्या :2202313600798

प्रमाण संख्या :22023136000744

भार मुक्त प्रमाण-पत्र
(रजि० मैनुअल के नियम 328)

श्री- कृष्ण कान्त शर्मा पुत्र- छीतर मल शर्मा तहसील गाजियाबाद जिला गाजियाबाद ने निम्नलिखित सम्पत्ति से सम्बन्धित प्रपत्रों/द्वारा प्रस्तुत भार मुद्रित प्रमाण पत्र हेतु प्राथना पत्र प्रस्तुत किया है।

सम्पत्ति का विवरण : ग्राम/मोहल्ला - शाहपुर बम्हेटा, वार्ड/परगना- डासना, कृषि- १ एस एमएम वी एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड २ जैपुरिया एडवांस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, कृषि भूमि, खसरा न 1520

मे एतद्वारा प्रमाणित करता हू कि इंडेक्स सं 02 तथा उससे सम्बन्धित सूची प्रपत्रों की तलाश दिनांक 01/01/2012 से दिनांक 25/12/2023 तक उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में की गयी जिसमे निम्नलिखित भार पाये गये

कोई भार नहीं पाया गया

दिनांक :27-12-2023

- नोट - 1. इस प्रमाण-पत्र के समस्त विवरण आवेदक द्वारा दिए गए संपत्ति के ब्यौरे के आधार पर दूँडे गए हैं। यदि रजिस्ट्रीकृत लेखपत्र में संपत्ति को आवेदक द्वारा आवेदन में दिये गए वर्णन से किसी दूसरे ढंग से वर्णित किया गया हो तो ऐसे लेखपत्रों से प्राप्त सूचना को प्रमाण पत्र में दर्ज नहीं किया जायेगा।
- वांछित तलाश कार्यालय द्वारा यथासंभव सावधानी के साथ किया गया है, और विभाग प्रमाणपत्र में शामिल सूचना के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- इस प्रमाण-पत्र में उन लेखपत्रों से सम्बन्धित सूचना शामिल नहीं है जो प्रस्तुत हो चुके हैं, परन्तु जिनका आज की तारीख तक रजिस्ट्रीकरण नहीं हुआ है।
- यह प्रमाण-पत्र किसी संपत्ति के स्वत्व का प्रमाण नहीं है।

तलाशकर्ता एवं प्रमाण पत्र बनाने वाले निबन्धन लिपिक: **विनीत कुमार।**
मिलान करने वाले निबन्धन लिपिक : **विनीत कुमार।**

VANDANA
CHAUDHARI

Digitally signed by
VANDANA CHAUDHARI

Date: 2023.12.27

13:57:30 +05'30'
उपनिबंधक सदर प्रथम
गाजियाबाद

प्रिंट करें



कार्यालय उपनिबन्धक सदर प्रथम गाजियाबाद जनपद गाजियाबाद

आवेदन संख्या :2202313600796

प्रमाण संख्या :22023136000742

भार मुक्त प्रमाण-पत्र
(रजि० मैनुअल के नियम 328)

श्री- कृष्ण कान्त शर्मा पुत्र- छीतर मल शर्मा तहसील गाजियाबाद जिला गाजियाबाद ने निम्नलिखित सम्पत्ति से सम्बन्धित प्रपत्रों/द्वारा प्रस्तुत भार मुद्रित प्रमाण पत्र हेतु प्राथना पत्र प्रस्तुत किया है।

सम्पत्ति का विवरण : ग्राम/मोहल्ला - शाहपुर बम्हेटा, वार्ड/परगना- डासना, कृषि- रिस्क फ्री ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड , कृषि भूमि , खसरा न. 1521
मे एतद्वारा प्रमाणित करता हू कि इंडेक्स सं 02 तथा उससे सम्बन्धित सूची प्रपत्रों की तलाश दिनांक 01/01/2012 से दिनांक 25/12/2023 तक उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में की गयी जिसमे निम्नलिखित भार पाये गये

कोई भार नहीं पाया गया

दिनांक :27-12-2023

- नोट - 1. इस प्रमाण-पत्र के समस्त विवरण आवेदक द्वारा दिए गए संपत्ति के ब्यौरे के आधार पर दूँडे गए हैं। यदि रजिस्ट्रीकृत लेखपत्र में संपत्ति को आवेदक द्वारा आवेदन में दिये गए वर्णन से किसी दूसरे ढंग से वर्णित किया गया हो तो ऐसे लेखपत्रों से प्राप्त सूचना को प्रमाण पत्र में दर्ज नहीं किया जायेगा।
- वांछित तलाश कार्यालय द्वारा यथासंभव सावधानी के साथ किया गया है, और विभाग प्रमाणपत्र में शामिल सूचना के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
 - इस प्रमाण-पत्र में उन लेखपत्रों से सम्बन्धित सूचना शामिल नहीं है जो प्रस्तुत हो चुके हैं, परन्तु जिनका आज की तारीख तक रजिस्ट्रीकरण नहीं हुआ है।
 - यह प्रमाण-पत्र किसी संपत्ति के स्वत्व का प्रमाण नहीं है।

तलाशकर्ता एवं प्रमाण पत्र बनाने वाले निबन्धन लिपिक: **विनीत कुमार।**
मिलान करने वाले निबन्धन लिपिक : **विनीत कुमार।**

**VANDANA
CHAUDHARI**

Digitally signed by
VANDANA CHAUDHARI
Date: 2023.12.27
12:53:37 +05'30'

उपनिबन्धक सदर प्रथम
गाजियाबाद



कार्यालय उपनिबंधक सदर प्रथम गाजियाबाद जनपद गाजियाबाद

आवेदन संख्या :2202313600797

प्रमाण संख्या :22023136000743

भार मुक्त प्रमाण-पत्र
(रजि० मैनुअल के नियम 328)

श्री- कृष्ण कान्त शर्मा पुत्र- छीतर मल शर्मा तहसील गाजियाबाद जिला गाजियाबाद ने निम्नलिखित सम्पत्ति से सम्बन्धित प्रपत्रों/द्वारा प्रस्तुत भार मुद्रित प्रमाण पत्र हेतु प्राथना पत्र प्रस्तुत किया है।

सम्पत्ति का विवरण : ग्राम/मोहल्ला - शाहपुर बम्हैटा, वार्ड/परगना- डासना, कृषि- जैपुरिया ऊयूरोबुइल्ड प्राइवेट लिमिटेड , कृषि भूमि , खसरा न. 1522 मे एतद्वारा प्रमाणित करता हू कि इंडेक्स सं 02 तथा उससे सम्बन्धित सूची प्रपत्रों की तलाश दिनांक 01/01/2012 से दिनांक 25/12/2023 तक उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में की गयी जिसमे निम्नलिखित भार पाये गये

कोई भार नहीं पाया गया

दिनांक :27-12-2023

- नोट - 1. इस प्रमाण-पत्र के समस्त विवरण आवेदक द्वारा दिए गए संपत्ति के ब्यौरे के आधार पर डूँडे गए हैं। यदि रजिस्ट्रीकृत लेखपत्र में संपत्ति को आवेदक द्वारा आवेदन में दिये गए वर्णन से किसी दूसरे ढंग से वर्णित किया गया हो तो ऐसे लेखपत्रों से प्राप्त सूचना को प्रमाण पत्र में दर्ज नहीं किया जायेगा।
2. वांछित तलाश कार्यालय द्वारा यथासंभव सावधानी के साथ किया गया है, और विभाग प्रमाणपत्र में शामिल सूचना के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
3. इस प्रमाण-पत्र में उन लेखपत्रों से सम्बन्धित सूचना शामिल नहीं है जो प्रस्तुत हो चुके हैं, परन्तु जिनका आज की तारीख तक रजिस्ट्रीकरण नहीं हुआ है।
4. यह प्रमाण-पत्र किसी संपत्ति के स्वत्व का प्रमाण नहीं है।

तलाशकर्ता एवं प्रमाण पत्र बनाने वाले निबन्धन लिपिक: विनीत कुमार।
मितान करने वाले निबन्धन लिपिक : विनीत कुमार।

VANDANA
CHAUDHARI

Digitally signed by
VANDANA CHAUDHARI
Date: 2023.12.27 12:54:38
+05'30'

उपनिबन्धक सदर प्रथम
गाजियाबाद



कार्यालय उपनिबंधक

सदर प्रथम

गाजियाबाद

जनपद

गाजियाबाद

आवेदन संख्या :2202313600794

प्रमाण संख्या :22023136000740

भार मुक्त प्रमाण-पत्र
(रजि० मैनुअल के नियम 328)

श्री- कृष्ण कान्त शर्मा पुत्र- छीतर मल शर्मा तहसील गाजियाबाद जिला गाजियाबाद ने निम्नलिखित सम्पत्ति से सम्बन्धित प्रपत्रों/द्वारा प्रस्तुत भार मुद्रित प्रमाण पत्र हेतु प्राथना पत्र प्रस्तुत किया है।

सम्पत्ति का विवरण : ग्राम/मोहल्ला - शाहपुर बम्हैटा, वार्ड/परगना- डासना, कृषि- सूर्य वैभव डेवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड , कृषि भूमि , 1523
मे एतद्वारा प्रमाणित करता हू कि इंडेक्स सं 02 तथा उससे सम्बन्धित सूची प्रपत्रों की तलाश दिनांक 01/01/2012 से दिनांक 25/12/2023 तक उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में की गयी जिसमे निम्नलिखित भार पाये गये

कोई भार नहीं पाया गया

दिनांक 27-12-2023

- नोट - 1. इस प्रमाण-पत्र के समस्त विवरण आवेदक द्वारा दिए गए संपत्ति के ब्यौरे के आधार पर दूँडे गए हैं। यदि रजिस्ट्रीकृत लेखपत्र में संपत्ति को आवेदक द्वारा आवेदन में दिये गए वर्णन से किसी दूसरे ढंग से वर्णित किया गया हो तो ऐसे लेखपत्रों से प्राप्त सूचना को प्रमाण पत्र में दर्ज नहीं किया जायेगा।
2. वांछित तलाश कार्यालय द्वारा यथासंभव सावधानी के साथ किया गया है, और विभाग प्रमाणपत्र में शामिल सूचना के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
3. इस प्रमाण-पत्र में उन लेखपत्रों से सम्बन्धित सूचना शामिल नहीं है जो प्रस्तुत हो चुके हैं, परन्तु जिनका आज की तारीख तक रजिस्ट्रीकरण नहीं हुआ है।
4. यह प्रमाण-पत्र किसी संपत्ति के स्वत्व का प्रमाण नहीं है।

तलाशकर्ता एवं प्रमाण पत्र बनाने वाले निबन्धन लिपिक: **विनीत कुमार।**
मिलान करने वाले निबन्धन लिपिक: **विनीत कुमार।**

VANDANA

CHAUDHARI

Digitally signed by
VANDANA CHAUDHARI

Date: 2023.12.27
13:56:20 +05'30'

उपनिबन्धक सदर प्रथम
गाजियाबाद

प्रिंट करें



कार्यालय उपनिबंधक सदर प्रथम गाजियाबाद जनपद गाजियाबाद

आवेदन संख्या :2202313600795

प्रमाण संख्या :22023136000741

भार मुक्त प्रमाण-पत्र
(रजि० मैनुअल के नियम 328)

श्री- कृष्ण कान्त शर्मा पुत्र- छीतर मल शर्मा तहसील गाजियाबाद जिला गाजियाबाद ने निम्नलिखित सम्पत्ति से सम्बन्धित प्रपत्रों/द्वारा प्रस्तुत भार मुद्रित प्रमाण पत्र हेतु प्राथना पत्र प्रस्तुत किया है।

सम्पत्ति का विवरण : ग्राम/मोहल्ला - शाहपुर बम्हैटा, वार्ड/परगना- डासना, कृषि- विभु ड्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड जैपुरिया एडवांस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, कृषि भूमि, खसरा न. 1523

मे एतद्वारा प्रमाणित करता हू कि इंडेक्स सं 02 तथा उससे सम्बन्धित सूची प्रपत्रों की तलाश दिनांक 01/01/2012 से दिनांक 25/12/2023 तक उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में की गयी जिसमे निम्नलिखित भार पाये गये

कोई भार नहीं पाया गया

दिनांक :27-12-2023

- नोट - 1. इस प्रमाण-पत्र के समस्त विवरण आवेदक द्वारा दिए गए संपत्ति के ब्यौरे के आधार पर दूँडे गए हैं। यदि रजिस्ट्रीकृत लेखपत्र में संपत्ति को आवेदक द्वारा आवेदन में दिये गए वर्णन से किसी दूसरे ढंग से वर्णित किया गया हो तो ऐसे लेखपत्रों से प्राप्त सूचना को प्रमाण पत्र में दर्ज नहीं किया जायेगा।
- वांछित तलाश कार्यालय द्वारा यथासंभव सावधानी के साथ किया गया है, और विभाग प्रमाणपत्र में शामिल सूचना के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- इस प्रमाण-पत्र में उन लेखपत्रों से सम्बन्धित सूचना शामिल नहीं है जो प्रस्तुत हो चुके हैं, परन्तु जिनका आज की तारीख तक रजिस्ट्रीकरण नहीं हुआ है।
- यह प्रमाण-पत्र किसी संपत्ति के स्वत्व का प्रमाण नहीं है।

तलाशकर्ता एवं प्रमाण पत्र बनाने वाले निबन्धन लिपिक : विनीत कुमार।
मिलान करने वाले निबन्धन लिपिक : विनीत कुमार।

VANDANA
CHAUDHARI

Digitally signed by
VANDANA CHAUDHARI
Date: 2023.12.27
12:46:36 +05'30'

उपनिबन्धक सदर प्रथम
गाजियाबाद

प्रिंट करें



कार्यालय उपनिबंधक सदर प्रथम गाजियाबाद जनपद गाजियाबाद

आवेदन संख्या :2202313600799

प्रमाण संख्या :22023136000745

भार मुक्त प्रमाण-पत्र
(रजि० मैनुअल के नियम 328)

श्री- कृष्ण कान्त शर्मा पुत्र- छीतर मल शर्मा तहसील गाजियाबाद जिला गाजियाबाद ने निम्नलिखित सम्पत्ति से सम्बन्धित प्रपत्रों/द्वारा प्रस्तुत भार मुद्रित प्रमाण पत्र हेतु प्राथना पत्र प्रस्तुत किया है।

सम्पत्ति का ग्राम/मोहल्ला - शाहपुर बम्हेटा, वार्ड/परगना- डासना, कृषि- बांके बिहारी इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड एस एम वी एजेंसीज
विवरण : प्राइवेट लिमिटेड जेपुरिया ड्यूरोबुल्ड प्राइवेट लिमिटेड, कृषि भूमि, खसरा न 1537, 1538

मे एतद्वारा प्रमाणित करता हू कि इंडेक्स सं 02 तथा उससे सम्बन्धित सूची प्रपत्रों की तलाश दिनांक 01/01/2012 से दिनांक 25/12/2023 तक उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में की गयी जिसमे निम्नलिखित भार पाये गये

कोई भार नहीं पाया गया

दिनांक :27-12-2023

- नोट - 1. इस प्रमाण-पत्र के समस्त विवरण आवेदक द्वारा दिए गए संपत्ति के खोरे के आधार पर दूढ़े गए हैं। यदि रजिस्ट्रीकृत लेखपत्र में संपत्ति को आवेदक द्वारा आवेदन में दिये गए वर्णन से किसी दूसरे ढंग से वर्णित किया गया हो तो ऐसे लेखपत्रों से प्राप्त सूचना को प्रमाण पत्र में दर्ज नहीं किया जायेगा।
2. वांछित तलाश कार्यालय द्वारा यथासंभव सावधानी के साथ किया गया है, और विभाग प्रमाणपत्र में शामिल सूचना के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
3. इस प्रमाण-पत्र में उन लेखपत्रों से सम्बन्धित सूचना शामिल नहीं है जो प्रस्तुत हो चुके हैं, परन्तु जिनका आज की तारीख तक रजिस्ट्रीकरण नहीं हुआ है।
4. यह प्रमाण-पत्र किसी संपत्ति के स्वत्व का प्रमाण नहीं है।

तलाशकर्ता एवं प्रमाण पत्र बनाने वाले निबन्धन लिपिक: **विनीत कुमार लिपिक।**
मिलान करने वाले निबन्धन लिपिक : **विनीत कुमार लिपिक।**

VANDANA
CHAUDHARI

Digitally signed by
VANDANA CHAUDHARI
Date: 2023.12.27
12:56:43 +05'30'

उपनिबन्धक सदर प्रथम
गाजियाबाद





GHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY

UTTAR PRADESH

SANCTION LETTER

{ High Risk }

PERMIT DATE : 27 Aug 2023

FILE No. : GDA/BP/22-23/1224

Site Address : COMMERCIAL 8 H BLOCK JAIPURIA SUNRISE GREENS NH-24 VILLAGE SHAPUR
BHAMETA

PERMIT NO. : Retail Shop/05419/GDA/BP/22-23/1224/13082023

USE : Commercial

SCHEME : SMV AGENCIES pvt ltd

PROPERTY : Plot No./Survey No. :Type Design
Plots
LandMark: MANIPAL HOSPITAL
Revenue Village: Dasna Dehat
Tehsil: Ghaziabad
District: Ghaziabad

NAME : COMMERCIAL, SHASHANK
VARSHNEY

ADDRESS : SB 64 FF JAIPURIA SUNRISE PLAZA 12A AHINSHAKHAND
INDRAPURAM,GHAZIABAD,Uttar Pradesh,201010

Your proposal submitted with reference to above has been examined as per rules and found suitable as per proposal drawing building Bylaws-2008 (Amended till-2018)

Date of Validity: **26 Aug 2028** or Expiry date of lease deed whichever is earlier.

Restrictions Required:

1. This permission is given based on the inputs on pages, documents and drawing provided by Applicant/ Architect. Applicant/ Architect confirms that the documents/ drawings submitted electronically or inputs by them are correct.
2. The permission accorded does not confer any ownership rights. The permission will be revoked at later stage, if it is found that the documents or information are false and fabricated.
3. Subject to obtaining of all required NOC's.

STANDARD CONDITIONS

1. This map is valid up to five years from the date of approval.
2. Before commencement of construction information shall be given to the Authority and after completion of construction, Completion Certificate shall be obtained from the Authority before occupying of the building or part thereof as per provision of Building Bye-Laws 2008 (as amended 2011/2016).
3. Before starting of construction, a board 4 ft x 3 ft shall be put up at the site on which Name of approving Authority, permit number, approval date, validity date and name of architect are to be mentioned.

4. Responsibility of Structure safety and quality shall be of Applicant.
5. Government Orders in force time to time shall be complied.
6. If approving Authority issue any demand letter in future, the applicant has to deposit the same without any objection.
7. If any dispute at any point of ownership arises in future, the permission shall be forfeited automatically (without giving any show cause notice). The approval of map does not give land rights to the applicant.
8. If any information is concealed or given wrong by the applicant, the map shall be cancelable.
9. Regarding construction, the standard/conditions specified in the Building Bye-Laws shall be implemented.
10. The building will be used only for which it is sanctioned.
11. Indian Electricity Rules shall not be violated and the conditions mentioned on NOC(s) issued by the different departments shall also be followed.

Next Application Process:

- Apply for Work start intimation on work start for intimation to authority from UPOBPAS
- Apply for Plinth Completion after completion of Plinth from UPOBPAS
- Apply for Occupancy after completion of Building through UPOBPAS.

NGT CONDITIONS

- 1) Owner shall put tarpaulin on scaffolding around the area of construction and the building. No person including owner, owner can be permitted to store any construction material particularly sand on any part of the street, roads in any colony.
- 2) The construction material of any kind that is stored in the site will be fully covered in all respects so that it does not disperse in the air in any form.
- 3) All the construction material and debris shall be carried in the trucks or other vehicles which are fully covered and protected so as to ensure that the construction debris or the construction material does not get dispersed into the air or atmosphere, in any form whatsoever.
- 4) The dust emissions from the construction site should be completely controlled and all precautions taken in that behalf.
- 5) The vehicles carrying construction material and construction debris of any kind should be cleared before it is permitted to ply on the road after unloading of such material.

- 6) Every worker working on the construction site and involved in loading, unloading and carriage of construction material and construction debris shall be provided with mask to prevent inhalation of dust particles.
- 7) Owner shall be under obligation to provide all medical help, investigation and treatment to the workers involved in the construction of building and carry of construction material and debris relating to dust emission.
- 8) It shall be the responsibility of owner to transport construction material and debris waste to construction site, dumping site or any other place in accordance with rules and in terms of this order.
- 9) All owners/owners should take appropriate measures and strictly comply with by fixing sprinklers and creations of green air barriers on construction site. Compulsory use of wet-jet in grinding and stone cutting.
- 10) Wind breaking walls around construction site.
- 11) All owners shall ensure that C&D waste is transported and disposed to the C&D waste site only and due record in that behalf shall be maintained by the owners and transporters.
- 12) Use of covering sheets should be done for trucks to prevent dust dispersion from the trucks, implemented by district offices.
- 13) Proponent shall ensure that periodical auto maintenance report from the contractor to avoid vehicular pollution.
- 14) Proponent should manage transportation route for vehicles in a well-planned manner to avoid traffic havocs.
- 15) The entry and exit points design is very important as it should not disturb the existing traffic.
- 16) Inspection & Maintenance has definite utility on emission performance, Regular vehicle inspection to be done by the contractor to enhance the efficiency of work and to reduce the risk of unwarranted air pollution.
- 17) Fitness certification is a statutory requirement for commercial vehicles and public transport vehicles. Periodicity for certification is once in a Year.
- 18) Pollution Under Control (PUC) certificates are required to be obtained every three months for all categories of vehicles. In case of diesel vehicles, free acceleration smoke is measured.
- 19) Life of vehicle should be inspected to avoid further air pollution.

- 20) Overloading is another big challenge and the shall be dealt by the proponent as well as State Authorities by installing check booth at entry points.
- 21) Viable emission control technologies exist to reduce diesel exhaust emissions designed to control particulate matter (PM) should be installed/used such as Diesel oxidation catalysts (DOCs), Diesel particulate filters (DPFs), Exhaust gas recirculation (EGR), Selective catalytic reduction (SCR), Lean Nox catalysts (LNCs), Lean NOx traps (LNTs).
- 22) Green belt creation will also act as a mitigating factor.

SPECIAL CONDITIONS :

1. 1-The completion certificate will have to be obtained before occupancy.

Signature valid

Digitally signed by CHANDRA PRASHASH TRIPATHI
Date: 27 Aug 2023 11:21:01
Designation: Chief Architect/Urban Town Planner/Additional Secretary



GAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY
